फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमू (जयपुर)

गोपीराम उर्फ गोपाल बनाम राजस्थान सरकार व अन्य

मुकदमा संख्या /वर्ष : 31 /2019
वाद

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	09/7/21	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। तहसीलदार चौमू से रिपोर्ट प्राप्त। जो शामिल की गई। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 19/7/21 को पेश हो। Sd/ सहायक कलक्टर चौमूँ (जयपुर)	
	19/7/21	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। प्रा० पत्र 06 R 17 CPC का पेश हुआ। प्रा० पत्र को सुना गया। प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र की मद सं. 2 के पृष्ठ सं. 2 की नवी लाइन में ख. नं. 372 की जगह ख. नं. 672 व मद सं. 3 की छठी लाइन में ख. नं. 649 तथा पृष्ठ सं. 5 के मद सं. 13 के अनुतोष 'क' की ग्यारहवीं लाइन में ख. नं. 372 की जगह 672 लाल स्याही से अंकित कर दुरुस्त किया जाता है। बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी का वाद डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से लिखा जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। Sd/ सहायक कलक्टर चौमूँ (जयपुर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.08.03 13:32:24 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा सं0—31 / 2019
उनवान—गोपीराम उर्फ गोपाल बनाम राज0 सरकार
निर्णय दिनांक— 19.07.2021

डिक्री मुकददमा इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी :— सुश्री सीमा शर्मा (R.A.S.)

उनवान

गोपीराम उर्फ गोपाल पुत्र भूरा, उम्र..........वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम उड्‌गवार उर्फ गुड़लिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर(राज0)।

—वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये उपतहसीलदार, उपतहसील गोविन्दगढ़, जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत इन्द्राज दुरुस्ती

मुकदमा नं0:—31 / 2019

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी मिनजामिन मुददई रूबरू सुश्री सीमा शर्मा आर.ए.एस. मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि—

वाके ग्राम उड्‌गवार उर्फ गुड़लिया, पटवार हल्का गुड़लिया, भू—अभि0 निरीक्षक क्षेत्र किशनपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में हाल खाता संख्या 241 के हाल खसरा नम्बर 643 / 977 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 654 रकबा 0.45 है0, खसरा नम्बर 670 रकबा 0. 41 है0, खसरा नम्बर 674 रकबा 9.18 है0, खसरा नम्बर 675 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 676 रकबा 0.07 है0 कुल किता 6 का कुल रकबा 10.21 हैक्टेयर भूमि व हाल खाता संख्या 227 के हाल खसरा नम्बर 653 रकबा 1.70 है0, खसरा नम्बर 671 रकबा 0. 38 है0, खसरा नम्बर 672 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 673 रकबा 3.08 है0, खसरा नम्बर 677 रकबा 0.38 है0, खसरा नम्बर 691 रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 699 रकबा 0. 04 है0 कुल किता 7 का कुल रकबा 5.98 हैक्टेयर [illegible] वादी का हिस्सा 1 / 48 भाग की खातेदारी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड [illegible] पुत्र भूरा के स्थान पर गोपीराम उर्फ गोपाल पुत्र भूरा दुरुस्त कर तदनुसार [illegible] किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.08.03 13:52:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

मुकदमा सं0–31 / 2019
उनवान–गोपीराम उर्फ गोपाल बनाम राज0 सरकार
निर्णय दिनांक– 19.07.2021

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 19.07.2021 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत ....
ओहदा.... सहायक कलक्टर चौमूँ (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	
जोड़	3	जोड़	0

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.08.03 13:52:24 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा सं0–31 / 2019
उनवान–गोपीराम उर्फ गोपाल बनाम राज0 सरकार
निर्णय दिनांक– 19.07.2021

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री सीमा शर्मा (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–31 / 2019

उनवान

गोपीराम उर्फ गोपाल पुत्र भूरा, उम्र..........वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम उड्गवार उर्फ गुड़लिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर(राज0)।

–वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये उपतहसीलदार, उपतहसील गोविन्दगढ़, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत इन्द्राज दुरुस्ती

निर्णय

निर्णय दिनांक :–19.07.2021

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वादी ग्राम उड्गवार उर्फ गुड़लिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का रहने वाला काश्तकार पेशा व्यक्ति है। वाके ग्राम उड्गवार उर्फ गुड़लिया, पटवार हल्का गुड़लिया, भू–अभि0 निरीक्षक क्षेत्र किशनपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में हाल खाता संख्या 241 के हाल खसरा नम्बर 643 / 977 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 654 रकबा 0.45 है0, खसरा नम्बर 670 रकबा 0.41 है0, खसरा नम्बर 674 रकबा 9.18 है0, खसरा नम्बर 675 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 676 रकबा 0.07 है0 कुल किता 6 का कुल रकबा 10.21 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसमें वादी का हिस्सा 1 / 48 भाग व हाल खाता संख्या 227 के हाल खसरा नम्बर 653 रकबा 1.70 है0, खसरा नम्बर 671 रकबा 0.38 है0, खसरा नम्बर 672 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 673 रकबा 3.08 है0, खसरा नम्बर 677 रकबा 0.38 है0, खसरा नम्बर 691 रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 699 रकबा 0.04 है0 [illegible] किता 7 का कुल रकबा 5.98 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसमें वादी [illegible] राजस्व रिकॉर्ड है। वादी का नाम उक्त भूमि खाता संख्या [illegible] रिकॉर्ड में सहवन से गोपाल पुत्र भूरा दर्ज हो गया जबकि वादी की ग्राम उड्[illegible]र उर्फ गुड़लिया में अन्य खातेदारी भूमियों खसरा नं0 593, 594, 596, 606, 643 / 979, 643 / 980, 648 / 795,

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.08.03 13:52:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

649, 647, 648, 655, 656, 669, 644, 645, 652, 651 में वादी का नाम गोपीराम पुत्र भूरा अंकित है जो सही है। इसके अलावा वादी के सभी दस्तावेजों राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, बैंक पासबुक में वादी का नाम गोपीराम पुत्र भूरा दर्ज है तथा गोपाल पुत्र भूरा व गोपीराम पुत्र भूरा वादी का नाम ही है। जिस संबंध में ग्राम पंचायत गुड़लिया द्वारा दिनांक 25.05.2018 को पहचान प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है, जिस कारण उक्त भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम गोपाल पुत्र भूरा के स्थान पर गोपीराम उर्फ गोपाल पुत्र भूरा अंकित किया जाना न्यायोचित होगा।

वादी का असली नाम व पहचान का नाम गोपीराम पुत्र भूरा है तथा समाज व परिवार में भी इसी नाम से जाना जाता है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिवश गोपाल पुत्र भूरा दर्ज हो गया, जिसमें वादी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा सरकारी विभागों में नाम की भिन्नता होने से पहचान भी स्पष्ट नहीं हो पा रही है तथा अपनी राजस्व भूमि के उक्त खाते के रिकॉर्ड में गोपाल पुत्र भूरा होने व दस्तावेजों में नाम गोपीराम पुत्र भूरा होने से वादी को अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण लेने में भी परेशानी का सामना करना पड रहा है। जिस कारण उक्त भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम गोपाल पुत्र भूरा के स्थान पर गोपीराम उर्फ गोपाल पुत्र भूरा अंकित किया जाना न्यायोचित होगा।

वादी द्वारा अपने वाद पत्र में यह अनुतोष चाहा गया है कि वादी की खातेदारी भूमि खाता संख्या 241 व 227 प्रत्येक में वादी के खातेदारी हिस्से 1/48 में वादी का नाम गोपाल पुत्र भूरा के स्थान पर गोपीराम पुत्र भूरा दुरुस्त किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

वादी द्वारा स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र व हनुमानसहाय पुत्र भूराराम, बनवारीलाल पुत्र भूराराम का शपथ पत्र पेश किया गया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रुप में राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, बैंक पासबुक, ग्राम पंचायत गुड़लिया द्वारा जारी पहचान प्रमाण–पत्र इत्यादि वाद पत्र के साथ संलग्न किये गये हैं। प्रतिवादी सं0 1 तहसीलदार चौमूं की ओर से वादी के नाम से संबंधित तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 05.05.2021 पेश की गई है, जिसके मुताबिक वादी का असली व पहचान का नाम गोपीराम पुत्र भूरा है तथा समाज व परिवार में यह व्यक्ति इसी नाम से जाना जाता है। अतः खाता संख्या 241 व 227 में वादी का नाम गोपीराम उर्फ गोपाल पुत्र भूरा दुरुस्त किया जाना उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.08.03 13:52:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

प्रकरण में सुना गया तथा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादी द्वारा अपने हिस्से की खातेदारी भूमि में अपना नाम गोपाल पुत्र भूरा के स्थान पर गोपीराम पुत्र भूरा दुरुस्त करवाये जाने का अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली व दस्तावेजात के अवलोकन व रिपोर्ट तहसीलदार, तहसील चौमूं के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि गोपाल पुत्र भूरा व गोपीराम पुत्र भूरा दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। न्यायालय अभिमत में गोपाल पुत्र भूरा के स्थान पर गोपीराम उर्फ गोपाल पुत्र भूरा नाम दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर वाके ग्राम उड्गवार उर्फ गुड़लिया, पटवार हल्का गुड़लिया, भू–अभि0 निरीक्षक क्षेत्र किशनपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में हाल खाता संख्या 241 के हाल खसरा नम्बर 643/977 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 654 रकबा 0.45 है0, खसरा नम्बर 670 रकबा 0.41 है0, खसरा नम्बर 674 रकबा 9.18 है0, खसरा नम्बर 675 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 676 रकबा 0.07 है0 कुल किता 6 का कुल रकबा 10.21 हैक्टेयर भूमि व हाल खाता संख्या 227 के हाल खसरा नम्बर 653 रकबा 1.70 है0, खसरा नम्बर 671 रकबा 0.38 है0, खसरा नम्बर 672 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 673 रकबा 3.08 है0, खसरा नम्बर 677 रकबा 0.38 है0, खसरा नम्बर 691 रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 699 रकबा 0.04 है0 कुल किता 7 का कुल रकबा 5.98 हैक्टेयर भूमि में वादी का हिस्सा 1/48 भाग की खातेदारी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम गोपाल पुत्र भूरा के स्थान पर गोपीराम उर्फ गोपाल पुत्र भूरा दुरुस्त कर तदनुसार इन्द्राज किया जावे।

डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सीमा शर्मा RAS)
सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.08.03 13:52:24 IST
Reason: SelfAttested